



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012021-224662
CG-DL-E-23012021-224662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

का.आ. 333(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 454(अ) तारीख 21.01.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 25.01.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : दरंग

राज्य : असम

सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मंगलदाइ	दाही	तमुलिपारा	21	00	04	14
			20	00	01	79
			19	00	02	55
			18	00	08	05
			17	00	04	96
			16	00	04	96
			15	00	03	10
			14	00	03	49
			13	00	03	79
			12	00	03	38
			11	00	15	78
			50	00	07	24
			51	00	04	77
			52	00	01	44
			53	00	00	20
			59	00	02	27
			60	00	00	22
			58	00	06	74
			56	00	00	20

			57	00	03	34
			64	00	02	28
			65	00	02	83
			66	00	03	33
			68	00	15	73
मंगलदाइ	दाही	झारगाँव	216	00	08	98
			215	00	07	09
			222	00	04	19
			212	00	01	00
			223	00	10	81
			211	00	02	83
			227	00	00	20
			240	00	21	27
			206	00	10	84
			204	00	02	52
			205	00	16	46
			197	00	00	20
			152	00	03	69
			155	00	19	62
			157	00	13	06
			154	00	00	20
			181	00	20	21
			183	00	04	08
			184	00	03	95
			303	00	03	43
			302	00	00	20
			308	00	02	72
			309	00	02	74
			310	00	04	36
			320	00	05	83
			429	00	00	20
			431	00	12	65
			433	00	14	16
			435	00	15	35
			434	00	01	51
			436	00	02	79

			821	00	02	14
मंगलदाइ	चपाई	अहाका चुबुरी	205	00	00	93
			206	00	08	69
			197	00	00	20
			204	00	08	81
			209	00	07	08
			213	00	15	23
			212	00	00	99
			217	00	03	17
			375	00	09	66
मंगलदाइ	चपाई	देओनागाँव	290	00	00	75
			306	00	00	80
			303	00	04	64
			302	00	10	24
			301	00	09	90
			300	00	10	51
			299	00	10	57
			298	00	05	33
			297	00	00	67
			304	00	09	69
			305	00	00	64
			296	00	09	49
			295	00	09	90
			294	00	02	19
			278	00	04	35
			279	00	09	55
			280	00	19	26
			281	00	13	46
			282	00	14	54
			283	00	09	85
			284	00	11	12
			285	00	02	75
			286	00	00	20
			266	00	18	18
			265	00	07	29
			232	00	31	12

	162	00	11	68
	161	00	03	03
	208	00	06	31
	210	00	01	67
	207	00	05	01
	204	00	00	20
	171	00	02	55
	172	00	05	37
	183	00	02	00
	187	00	15	78
	184	00	11	27

[फा. सं. एल-14014/11/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2021

S.O. 333(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.454(E) dated the 21.01.2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 25.01.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE**District : Darrang****State : Assam**

Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mangaldai	Dahi	Tamulipara	21	00	04	14

			20	00	01	79
			19	00	02	55
			18	00	08	05
			17	00	04	96
			16	00	04	96
			15	00	03	10
			14	00	03	49
			13	00	03	79
			12	00	03	38
			11	00	15	78
			50	00	07	24
			51	00	04	77
			52	00	01	44
			53	00	00	20
			59	00	02	27
			60	00	00	22
			58	00	06	74
			56	00	00	20
			57	00	03	34
			64	00	02	28
			65	00	02	83
			66	00	03	33
			68	00	15	73
Mangaldai	Dahi	Jhargaon	216	00	08	98
			215	00	07	09
			222	00	04	19
			212	00	01	00
			223	00	10	81
			211	00	02	83
			227	00	00	20
			240	00	21	27
			206	00	10	84
			204	00	02	52
			205	00	16	46
			197	00	00	20
			152	00	03	69
			155	00	19	62
			157	00	13	06
			154	00	00	20
			181	00	20	21
			183	00	04	08
			184	00	03	95
			303	00	03	43
			302	00	00	20
			308	00	02	72

			309	00	02	74
			310	00	04	36
			320	00	05	83
			429	00	00	20
			431	00	12	65
			433	00	14	16
			435	00	15	35
			434	00	01	51
			436	00	02	79
			821	00	02	14
Mangaldai	Chapai	Ahaka Chuburi	205	00	00	93
			206	00	08	69
			197	00	00	20
			204	00	08	81
			209	00	07	08
			213	00	15	23
			212	00	00	99
			217	00	03	17
			375	00	09	66
Mangaldai	Chapai	Deonagaon	290	00	00	75
			306	00	00	80
			303	00	04	64
			302	00	10	24
			301	00	09	90
			300	00	10	51
			299	00	10	57
			298	00	05	33
			297	00	00	67
			304	00	09	69
			305	00	00	64
			296	00	09	49
			295	00	09	90
			294	00	02	19
			278	00	04	35
			279	00	09	55
			280	00	19	26
			281	00	13	46
			282	00	14	54
			283	00	09	85
			284	00	11	12
			285	00	02	75
			286	00	00	20
			266	00	18	18
			265	00	07	29
			232	00	31	12

	162	00	11	68
	161	00	03	03
	208	00	06	31
	210	00	01	67
	207	00	05	01
	204	00	00	20
	171	00	02	55
	172	00	05	37
	183	00	02	00
	187	00	15	78
	184	00	11	27

[F. No. L-14014/11/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.